न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 03 / 2022 दायरा दिनांक 24.03.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

लक्ष्मीचन्द पुत्र छीतरलाल जाति ओढ निवासी मालोटी तहसील किशनगंज जिला – बारां

– प्रार्थी

बनाम

1. कालूलाल पुत्र बिशनलाल जाति सहरिया निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज–बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां **– अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री सुनील कुमार नागर व श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **एक्स पार्टी– अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम मालोटी पटवर हल्का छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां, राजस्थान में वर्तमान आराजी खसरा संख्या 53 रकबा 1.3000 हैक्टयर पुराने खसरा नम्बर 9 रकबा 8.00 बीघा अवस्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे चलकर विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वक्त आवंटन उक्त आराजी के खसरा नम्बर 9 थे लेकिन बाद में उक्त खसरा नम्बर 9/9 अंकित हो गये तथा उसके बाद हाल सेटलमेन्ट के समय उक्त आराजी के खसरा नम्बर बदलकर 53 हो गये है। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अर्सा 40 वर्ष से भी अधिक समय से बहैसियत [illegible] कार काबिज काश्त करता रहा है प्रार्थी के द्वारा ही उक्त आराजी को नौतोड़ कर [illegible] श्रम व पैसा [illegible] कर काबिल काश्त बनाया था, और आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

दिन तक उक्त आराजी पर प्रार्थी बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त आराजी में प्रार्थी का फसल खडी हुई है। विवादग्रस्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जॉच पडताल किये मौके पर भूमि खाली नहीं होने के बाबजूद भी अप्रार्थी के नाम पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके दिनांक 27.08.1998 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकि आवंटन के पूर्व से ही उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी, तथा प्रार्थी ही मौके पर काश्त कर रहा था। मौके पर भूमि खाली नहीं होने से उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नही था समिति द्वारा अपूर्ण कोरम होने के बाबजूद भी विधि विरूद्ध आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता है जबकि अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की समय समय पर तावान राशि भी जमा करवाई जाती रही है इसलिए उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा साबित होता है इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। मौके पर भूमि खाली न होने के बाबजूद भी अप्रार्थी के नाम विधि विरुद्ध आवंटन कर दिया गया, उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही उसने कभी काश्त की है। न ही आवंटी को उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा दिया गया, प्रार्थी आज तक निरन्तर काबिज काश्त है, आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त होना चाहिए लेकिन आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। नये सेटलमेन्ट में उक्त खसरा नम्बर 9 को बदलकर खसरा नम्बर 9/9 और अब आराजी का खसरा नम्बर बदलकर 53 दर्ज कर दिया गया जो बदस्तूर वर्तमान जमाबन्दी तक चला आ रहा है, पर अप्रार्थी के मन में बदयान्ति आने के कारण नये खसरा नम्बर 53 दर्ज होने के बाद जबरन अवैधानिक रूप से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हो रहा है। तथा अपने नाम खाते में दर्ज होने के कारण जबरन रहन बेचान करने की धमकियां दे रहा है इस कारण अप्रार्थी के नाम किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी पर दिनांक 22.02.2022 को अप्रार्थी अपने साथियों व परिवारजनो के साथ प्रार्थी की आराजी पर आया और जबरन आराजी को हांकने का प्रयास किया तथा विवाद पैदा किया तो गांव के लोगों की समझाईश पर वापस चला गया किन्तु आराजी पर जबरन कब्जा करने व आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देकर गये तथा धारा 3 जैसे गम्भीर मुकदमें दर्ज करवाने की धमकी देकर गये। इसके बाद अप्रार्थी अन्तिम बार दिनांक 03.03.2022 को पुनः आराजी का कब्जा छुडवाने की नियति से हथियार लेकर खेत पर आया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

कहा कि कब्जा छोड दो वरना गम्भीर नतीजे भुगतने पडेंगें, इस कारण प्रार्थी को न्यायालय की शरण आवश्यक हो गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नहीं की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.08.1998 को अप्रार्थी कालूलाल पुत्र बिशनलाल जाति सहरिया निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज को ग्राम मालोटी की आराजी खसरा नं. 9 रकबा 8.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested